समाहरणालय, खगड़िया

(जिला पंचायत शाखा)

निविदा आमंत्रण

अल्पकालीन निविदा की शर्त्त

राज्य में पंचायत आम निर्वाचन, 2016 सम्पन्न कराने हेतु विधान सभा की मतदाता सूची के आधार पर पंचायत वार्ड वार फोटोयुक्त मतदाता सूची की तैयारी हेतु इच्छुक एवं अनुभवी फर्मो से दो लिफाफा पद्धति के अनुरूप अल्पकालीन सीलबन्द (मुहरबन्द) निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 23.12.2015 को 3:00 बजे अपराह्न तक जिला पंचायत कार्यालय, खगड़िया में जमा की जा सकती है। निविदा उसी दिन 4:00 बजे अपराह्न से दर निर्धारण समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदादाता निविदा खुलते समय स्वयं उपस्थित रह सकते हैं अथवा किसी को प्राधिकृत कर सकते हैं। विस्तृत विवरण जिला के वेबसाईट khagaria.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग–अलग होना अनिवार्य है।

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा दर निर्धारण समिति द्वारा खोला जायेगा।
2. कार्य संपादन के लिये आवश्यक सॉफ्टवेयर राज्य निर्वाचन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(क) तकनीकी निविदा की शर्त्तें :–

1. फर्म को बिहार वाणिज्यकर (VAT) में एवं आयकर में (PAN No.) निबंधित होने के साथ–साथ अद्यतन कर शोधन प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न की प्रति भी संलग्न करना होगा।
2. निविदा के साथ मो0 25000.00 (पच्चीस हजार) रू0 मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो तथा जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खगड़िया के पक्ष में देय हो संलग्न करना होगा।
3. फर्म के पास पर्याप्त आधारभूत संरचना तथा कम्प्यूटर/जेनरेटर/यू0पी0एस0 आदि की उपलब्धता से संबंधित स्वामित्व प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र देना होगा तथा उसकी पूर्ण विवरणी (specification) भी देना होगा।
4. आवंटित कार्य की Sub Contracting किसी भी परिस्थिति में मान्य होगा तथा यदि ऐसा पाया जाता है तो तुरंत कार्यादेश वापस ले लिया जाएगा एवं जमानत राशि जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस आशयक का Undertaking तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
5. फर्म द्वारा प्रयुक्त सिस्टम में अनुज्ञप्ति (Licensed) ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटी वायरस एवं Sol Server 2012 सॉफ्टवेयर होने संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
6. फर्म को सभी कार्य जिला मुख्यालय में करना होगा। इस आशय का Undertaking तकनीकी निविदा के साथ देना होगा। आयोग स्तर पर भी डाटा संधारण में मदद देना होगा एवं मतदाता सूची विखंडन की जांच आयोग स्तर पर भी की जायेगी।
7. फर्म को राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन करते हुए Undertaking देना होगा।
8. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में देना होगा।
9. निविदादाता को मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन हेतु प्रिंटिंग का कार्य करना होगा इस कार्य में सॉफ्ट कॉपी की तैयारी संबंधी सभी कार्य सम्मिलित रहेगा।
10. जिन निविदादाताओं का तकनीकी निविदा सही नहीं पायी जाती है उनकी वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी एवं उसे तत्काल लौटा दिया जायेगा।

11. चयनित फर्म को सफलतापूर्वक समयबद्ध ढंग से कार्य निष्पादन के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा एवं ससमय कार्य निष्पादन नहीं होने पर भुगतान में कटौती की जा सकती है।
12. मतदाता सूची के विखंडन हेतु विहित प्रपत्र संलग्न किया जाता है जिसमें पंचायत/प्रखंड स्तर पर प्रभारी पदाधिकारी द्वारा वार्डवार विखंडन हेतु आवश्यक क्रम संख्या उपलब्ध कराया जायेगा।
13. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रतिदिन विलम्ब के लिए 1000.00 (एक हजार) रू0 की कटौती की जायेगी तथा एक सप्ताह के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जमा जमानत राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
14. अगर कार्य उम्मीद के अनुसार (Accuracy + Speed) नहीं होगा एवं कार्य में अधिक त्रुटियाँ पायी जायेगी तो संविदा अधोहस्ताक्षरी द्वारा रद्द कर दी जायेगी।
15. उपरोक्त शर्त्तो के अलावे समय-समय पर जिला द्वारा निर्धारित शर्त्तो का पालन करना होगा।
16. बगैर कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने संशोधित करने, कार्यहित में एक से अधिक वेंडरों में कार्य को आवंटित करने का अधिकार जिला को सुरक्षित रहेगा एवं किसी भी विवाद की स्थिति में जिला का निर्णय अंतिम होगा।
17. कार्यहित एवं समय-सीमा को देखते हुए न्यूनतम दर पर कार्यो का वितरण एक से अधिक निविदादाताओं के बीच किया जा सकता है।
18. पिछले वित्तीय वर्ष का एजेन्सी फर्म का टर्न ओवर एवं Audited Balance Sheet की कॉपी संलग्न करें।
19. निविदा से संबंधित जानकारी खगड़िया जिला के वेबसाईट khagaria.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0)
-सह-जिला पदाधिकारी, खगड़िया

ज्ञापांक : 835 /पं0, दिनांक : 14.12.15

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति, जिला-खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता हे कि जिला के विभागीय साईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0)
-सह-जिला पदाधिकारी, खगड़िया